

प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 11.07.2024

दहेज प्रताड़ना का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराईच के नेतृत्व में व030नि0 रविसेन यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 569/24 धारा 85/61(2)/124(1) BNS व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त रामाज्ञा निषाद पुत्र फलिन्दर निषाद निवासी ग्राम व मोगलपुरा(मिठाई टोला) थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की बहन को दहेज के लिए बार- बार प्रताड़ित करने व दिनांक 10.07.2024 को सुनियोजित ढंग से षणयंत्र रच कर जान मारने की नियत से जिंदा जला देने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुआ जिसपर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का ईलाज बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामाज्ञा निषाद पुत्र फलिन्दर निषाद निवासी ग्राम व मोगलपुरा(मिठाई टोला) थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 569/24 धारा 85/61(2)/124(1) BNS व ¾ डी0पी0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व030नि0 रविसेन यादव थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
2. प्रशिक्षु उप निरीक्षक श्रेयास राय थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. कां0 मोहित उपा0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर